सं0 एफ0 8(4)-संख्या-III/79

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1980

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- इतर सेवा के दौरान देय पेंशन की लागत के संबंध में मासिक अंशदान की गणना ।

इस मंत्रालय के 19 जुलाई, 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं0 एफ0-1(14)-संख्या-III(अ)/69 में निहित अनुदेशों के अनुसार इतर सेवा की सक्रिय अवधि के दौरान देय पेंशन की लागत के संबंध में मासिक अंशदान की गणना, पद के अधिकतम वेतनमान में ऐसे अधिकतम के अनुरूप महगाई वेतन को जोड़ कर, की जानी होती है ।

2. इस मंत्रालय के 25 मई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19(4)-संख्या-V/79 के जारी होने के परिणामस्वरूप यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या सेवा निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में हिसाब में लिए जाने वाले महगाई भत्ते के एक भाग को इतर सेवा की अवधि के लिए देय पेंशन के अंशदान की दर की गणना करने के प्रयोजन के लिए भी हिसाब में लिया जाएगा । राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि सरकारी कर्मचारी की इतर सेवा की सक्रिय अवधि के दौरान उसके संबंध में देय पेंशन संबंधी अंशदानों मूल नियमावली के नियम 9(21) में तथा इस मंत्रालय के 25.5.79 के का0 ज्ञा0 में बताए गए अनुसार उस पद के संबंध में वेतन के अधिकतम के अनुरूप महगाई वेतन पर आधारित होना चाहिए, जिस पद पर वह इतर सेवा पर जाते समय था अथवा जिस पर उसे इतर सेवा में रहते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति मिले ।

3. ये आदेश इतर सेवा के मामलों पर लागू होंगे जो इन के जारी होने की तारीख के पश्चात शुरू होंगे । विगत मामलों में ये आदेश इतर सेवा की वर्तमान अवधि को और आगे बढ़ाने की स्थिति में इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की तारीख से, अथवा जहां प्रतिनियुक्ति अनिर्दिष्ट अवधि के लिए हुई हो वहां इन आदेशों के जारी होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात लागू होंगे ।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात जारी किए गए हैं ।

(टी0एन0 कृष्णामूर्ति)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।

(अंग्रेजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार)